

मैसर्स पारस शिप ब्रेकर्स लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

12 अक्टूबर, 2007

(एसबी सिन्हा एवं हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधिपतिगण)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-धाराएं 3 ए और 35 जी-माना गया वार्षिक उत्पादन-निर्धारण का तरीका-निर्धारिती के खिलाफ न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य का पता लगाना-उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारिती की अपील को खारिज कर दिया गया-वैधता-अभिनिर्धारित-सही है क्योंकि उच्च न्यायालय के विचार के लिए कानून का कोई प्रश्न नहीं था।

अपीलकर्ता-निर्धारिती ने एक इंडक्शन भट्टी स्थापित की थी। विभाग ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (14-05-1987 से लागू) की धारा 3 ए के संदर्भ में अपीलकर्ता-निर्धारिती के अनुमानित वार्षिक उत्पादन को पहली बार इंडक्शन भट्टी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करने की मांग की जब यह पहली बार स्थापित की गई थी अर्थात् 8 एम.टी. - अपीलकर्ता-निर्धारिती ने तर्क दिया कि राज्य विद्युत बोर्ड से अपेक्षित विद्युत ऊर्जा की अनुपलब्धता के कारण बाद में उसे इंडक्शन भट्टी की क्षमता को 4½ एमटी तक कम करना पड़ा और माना गया वार्षिक उत्पादन तदनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों द्वारा इस तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त भट्टी की क्षमता 8 एम.टी. थी न कि 4½ एम.टी. अधिकरण भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इंडक्शन भट्टी की क्षमता में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

इसके खिलाफ दायर अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसलिए वर्तमान अपील दायर की गई।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया:

1.1. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस इस आधार पर जारी किया गया था कि इंडक्शन भट्टी की क्षमता 4½ मीट्रिक टन से अधिक है। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में अपीलकर्ता ने उक्त इंडक्शन भट्टी की क्षमता को कम कर दिया है या नहीं यह मूलतः तथ्य का प्रश्न है। अधिकरण ने बहुत विस्तृत आदेश पारित किया है। इसमें अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विचार किया गया। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा यह अभ्यावेदन दिए जाने पर कि भट्टी की क्षमता कम हो गई है, भट्टी के मापदंडों के माप और सत्यापन के उद्देश्य से विभाग द्वारा एक उपायुक्त को प्रतिनियुक्त किया गया था। विभाग के अधिकारियों ने दरअसल भट्टी की पिघलने की क्षमता और औसत उत्पादन को देखा था, उन्होंने आरजीआई रजिस्ट्रों में दर्ज वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखा। संबंधित रजिस्ट्रों के सत्यापन पर, यह पाया गया कि दर्ज किया गया वास्तविक उत्पादन 8 एम.टी. के स्तर के करीब था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम उस स्थिति में वार्षिक क्षमता निर्धारित करने का प्रावधान करता है जहां निर्माता इंडक्शन भट्टी की क्षमता को बढ़ाने या घटाने का प्रस्ताव करता है, लेकिन उक्त अधिकारियों से पहले संबंधित चार्टर्ड इंजीनियर से भी जांच की गई, जिसने अपने बयान में स्वीकार किया कि अपीलकर्ता द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर भट्टी की क्षमता को प्रमाणित किया है। इसलिए, यह स्पष्ट था कि उन्होंने भट्टी का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया था। उक्त गवाह के अनुसार, वास्तविक उत्पादन संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट में दिखाई गई क्षमता के 10% से 20% तक भिन्न हो सकता है। यहां तक कि मैसर्स फुरकॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के अधिकारियों ने कहा कि संशोधन केवल एक क्रूसिबल में

किया गया था लेकिन दोनों क्रूसिबल के संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसलिए, अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में उक्त इंडक्शन भट्टी के क्रूसिबल में कोई संशोधन नहीं किया गया था। कई अन्य परिस्थितियाँ जो मुद्दे के निर्धारण के लिए प्रासंगिक थीं, जैसे कि पार्टियों का आचरण, को भी ध्यान में रखा गया था। [पैरा 10] [424-एफ, जी, एच; 425-ए, बी, सी, डी]

1.2. सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद, चूंकि अधिकरण द्वारा तथ्यों का निष्कर्ष निकाला गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की है। [पैरा 13][426-जी]

1.3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 जी के संदर्भ में, उच्च न्यायालय केवल तभी अपील पर विचार कर सकता है जब कानून का कोई प्रश्न उठे। उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए कानून का कोई प्रश्न नहीं था, अतः आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता नहीं है। [पैरा 15] [427-सी, डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4841/2007

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के कर अपील संख्या 427/2004 के अंतिम निर्णय/आदेश दिनांक 11.2.2005 के विरुद्ध

अपीलकर्ता की ओर से- गौरव बनर्जी, डी.एन. रे और सुमिता रे।

प्रत्यर्थी की ओर से- गोपाल सुब्रमण्यम, ए.एस.जी., देवनीश ए मोहता, पी.वी. नरसिम्हन और बी. कृष्णा प्रसाद।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

एस.बी. सिन्हा, न्यायाधिपति,

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा 2004 की कर अपील संख्या 427 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.02.2005 के खिलाफ पेश की गई है, जिसके अन्तर्गत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश दिनांक 22 मई, 2003 के साथ-साथ विविध आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2004 को खारिज कर दिया गया था।

3. इस अपील में शामिल मुद्दा यह है कि कैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 ए के संदर्भ में उत्पादन जो 14.05.1987 से प्रभाव के साथ लागू किया गया वार्षिक उत्पादन समझा जाए को निर्धारित किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने एक इंडक्शन भट्टी स्थापित की, जिसकी क्षमता 8 एम.टी. थी। गुजरात राज्य विद्युत निगम से 3000 केवीए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कहा गया था। बोर्ड केवल 1900 केवीए इनपुट बिजली की आपूर्ति करने पर सहमत हुआ। उक्त भट्टी का निर्माण इंडक्थर्म (इंडिया) लिमिटेड द्वारा किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता को अपेक्षित मात्रा में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति नहीं मिल सकी, उसने उक्त इंडक्शन भट्टी की क्षमता को कम करने के बारे में सोचा। इसके अनुसार, क्षमता को 8 M.Ts से घटाकर 4½ M.Ts कर दिया गया। अपीलकर्ता का कहना है कि विभाग को इसकी जानकारी दी गयी थी। कथित तौर पर, निरीक्षण किया गया और निरीक्षण दल द्वारा उक्त इंडक्शन भट्टी की क्षमता पर भी गौर किया गया। इसके बावजूद, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न वार्षिक उत्पादन का निर्धारण इस आधार पर किया जाए कि उक्त भट्टी की क्षमता 8 एमटी थी। संबंधित अधिकारियों द्वारा इस तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त भट्टी की क्षमता 8 एम.टी. थी, न कि 4½ एम.टी.

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव बनर्जी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने मेसर्स फुरकॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज से एक प्रमाण पत्र प्राप्त

किया था। फुरकॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज को यह दिखाना होगा कि भट्ठी की संभावित क्षमता 4.5 एम.टी. थी। स्टील पिघलाने के लिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बोर्ड यूनिट को 11 केवी पर 3000 केवीए की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं था, अपीलकर्ता के पास उक्त भट्ठी की क्षमता को कम करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस संबंध में हमारा ध्यान बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 16.07.1997 के निम्नलिखित पत्र की ओर आकर्षित किया गया है:

"खखरिया में आपकी इकाई के लिए 11 केवी पर बिजली की आवश्यकता को 2400 केवीए से बढ़ाकर 3000 केवीए करने के संबंध में आपके ऊपर उद्धृत पत्र के संबंध में, आपको सूचित किया जाता है कि 3000 केवीए की आपकी कुल बिजली की आवश्यकता को प्राप्त हमारा क्षेत्रीय कार्यालय व्यवहार्यता के अनुसार 11 केवी पर पूरा नहीं किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि हालिया संशोधन शर्त संख्या 28 के अनुसार 2500 केवीए और उससे अधिक बिजली की आवश्यकता को आपूर्ति की स्थिति के अनुसार 66 केवी या उससे ऊपर के वोल्टेज पर पूरा किया जाना है। हम तदनुसार अपने ई.ई. (कांस्ट्रक्सन) अमरेली को व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजने की सलाह दे रहे हैं।"

5. एक चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा दिनांक 4.09.1997 का एक प्रमाणपत्र जारी किया गया था जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

"c. क्रूसिबल को बिजली आपूर्ति की कमी के कारण क्षमता 4500 किलोग्राम में परिवर्तित किया जाता है।"

6. हमारा ध्यान सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, राजकोट द्वारा उपायुक्त को संबोधित दिनांक 07.04.2000 को जारी एक पत्र की ओर भी आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया था:

"इंडक्शन भट्टी की उत्पादन क्षमता के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण मापदण्डों को यूनिट के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में मापा गया था (माप का चित्र इसके साथ संलग्न है)। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, क्रूसिबल भट्टी के चारों ओर लपेटे गए हीटिंग कॉइल केवल धातु स्तर तक हैं। इसलिए, केवल उस स्तर तक ही स्क्रेप को पिघलाया जा सकता है। दौरे के दौरान निर्मित लोहे की सिल्लियों का विधिवत वजन किया गया। प्रत्येक बैच में, तीन बैचों से ली गई औसतन निर्मित सिल्लियों की संख्या प्रति बैच 42 होती है। विभिन्न बैचों से पांच नग का वजन लिया गया जिसमें एक सिल्ली का औसत वजन 98 किलोग्राम आया। अतः इस गणना के आधार पर औसत उत्पादन 4.1 टन प्रति बैच आता है। इसके अतिरिक्त, एक हीट (बैच) में समय की आवश्यकता लगभग एक घण्टा तीस मिनट है।"

7. इसके बावजूद, श्री बनर्जी ने कहा कि कारण बताओ नोटिस केवल इस आधार पर जारी किया गया था कि अपीलकर्ता ने आयुक्तालय को इंडक्शन फर्नेस में किसी भी प्रस्तावित बदलाव के बारे में सूचित नहीं किया था, जो इस तथ्य के विपरीत है। अधिकारियों को सूचना दे दी गई थी, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा 06.02.2001 को दायर कारण बताओ से प्रतीत होता है जिसमें यह कहा गया था:

"...हमें अपने रिकॉर्ड से पता चला है कि संशोधन करने की तिथि यानी 14.05.1997 को हमने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, एआर-सिहोर को दिनांक 14.5.1997 को एक पत्र संबोधित किया था, जिसमें

बताया गया था कि हम मेसर्स फुरकॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से हमारे क्रूसिबल की क्षमता में बदलाव कर रहे हैं। हमने इस तरह के संशोधन की आवश्यकता के विस्तृत कारण बताए हैं। उक्त पत्र दिनांक 14.5.1997 की एक प्रति, जो उक्त अधीक्षक के कार्यालय में विधिवत प्राप्त हुई, आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। परिवर्तनों के पूरे होने के बाद, हमने अपने पत्र दिनांक 16.5.1997 के माध्यम से उक्त अधीक्षक को फिर से सूचित किया, जिसकी एक रसीद की प्रति भी अवलोकन के लिए संलग्न है। हालाँकि उस समय मिश्रित शुल्क लागू नहीं था, फिर भी हमने विभाग को हमारे द्वारा किए गए परिवर्तनों से अवगत कराया। यह आरोप सही नहीं है कि विभाग को बदलावों के बारे में सूचित नहीं किया गया।"

यह आग्रह किया गया कि उक्त कथन तथ्यात्मक रूप से विवादित नहीं है, जो विचार के लिए आया वह नियमों की कानूनी व्याख्या थी।

हालाँकि, अपीलकर्ता के उक्त तर्क को प्रत्यर्थी ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि इंक्वशन भट्टी की क्षमता में संशोधन अप्रासंगिक था; इसके लिए एकमात्र प्रासंगिक मानदंड स्थापित क्षमता है।

श्री बनर्जी का कहना था कि प्रत्यर्थी की ओर से ऐसा निष्कर्ष बेहद अनुचित था क्योंकि मौजूदा नियमों के मद्देनजर उक्त निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता था।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुब्रमण्यम की दलील यह है कि तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए कानून का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

9. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 ए(2) इस प्रकार है:

“(2) जहां उप-धारा (1) के तहत एक अधिसूचना जारी की जाती है, केंद्र सरकार, नियमों द्वारा, कारखाने की उत्पादन की वार्षिक क्षमता, या ऐसे कारक या कारकों के निर्धारण के लिए प्रदान कर सकती है जो कारखाने की उत्पादन की वार्षिक क्षमता से संबंधित हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा ऐसे माल का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन की ऐसी वार्षिक क्षमता को ऐसे कारखाने द्वारा ऐसे माल का वार्षिक उत्पादन माना जाएगा: बशर्ते कि जहां अधिसूचित माल का उत्पादन करने वाला कारखाना केवल एक हिस्से के दौरान परिचालन में हो, उसके उत्पादन की गणना उत्पादन की वार्षिक क्षमता के आनुपातिक आधार पर की जाएगी।”

10. कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.06.2000 को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता को इस आधार पर जारी किया गया था कि इंडक्शन भट्टी की क्षमता 4.5 मीट्रिक टन से अधिक है। यह प्रश्न कि क्या वास्तव में अपीलकर्ता ने उक्त इंडक्शन भट्टी की क्षमता कम कर दी है या नहीं, मूलतः तथ्य का प्रश्न है। अधिकरण ने बहुत विस्तृत आदेश पारित किया है। इसमें अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विचार किया गया। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा यह अभ्यावेदन दिए जाने पर कि भट्टी की क्षमता कम हो गई है, 08.03.2000 को भट्टी के मापदंडों के माप और सत्यापन के उद्देश्य से विभाग द्वारा एक उपायुक्त को नियुक्त किया गया था। विभाग के अधिकारियों ने दरअसल भट्टी की पिघलने की क्षमता और औसत उत्पादन को देखा था, उन्होंने आर.जी.आई. रजिस्टर में दर्ज वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखा। संबंधित रजिस्ट्रों के सत्यापन पर, यह पाया गया कि दर्ज किया गया वास्तविक उत्पादन 8 एम.टी. के स्तर के करीब था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम उस मामले में वार्षिक क्षमता निर्धारित करने का प्रावधान करता है जहां निर्माता इंडक्शन भट्टी की क्षमता को बढ़ाने या घटाने का प्रस्ताव करता है, लेकिन उक्त अधिकारियों से पहले श्री दीपक शाह, चार्टर्ड

इंजीनियर से भी जांच की गई थी। अपने बयान में, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपीलकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर भट्टी की क्षमता को प्रमाणित किया था। इसलिए, यह स्पष्ट था कि उन्होंने भट्टी का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया था। उक्त गवाह के अनुसार, वास्तविक उत्पादन संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट में दर्शाई गई क्षमता के 10% से 20% तक भिन्न हो सकता है। यहां तक कि मैसर्स फुरकॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के अधिकारी, श्री बीके शुक्ला ने कहा कि संशोधन केवल एक क्रूसिबल में किया गया था, लेकिन दोनों क्रूसिबल के संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसलिए, अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में उक्त इंडक्शन भट्टी के क्रूसिबल में कोई संशोधन नहीं किया गया था। विभिन्न अन्य परिस्थितियाँ जो मुद्दे के निर्धारण के लिए प्रासंगिक थीं, जैसे कि पार्टियों का आचरण, को भी ध्यान में रखा गया था। इसलिए, अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में उक्त इंडक्शन भट्टी के क्रूसिबल में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

11. अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 22.05.2003 में अभिनिर्धारित किया:

"4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि ऐसा लगता है कि आयुक्त ने एसीडी नियमों के दायरे की गलत धारणा के तहत काम किया है क्योंकि उन्होंने देखा था कि कार्य क्षमता में बदलाव से भट्टी की स्थापित क्षमता में बदलाव नहीं हुआ; एसीडी नियम स्थापित क्षमता की बात नहीं करते क्योंकि नियमों के अनुसार कारखाने में स्थापित भट्टी की क्षमता निर्धारित की जानी आवश्यक है; नियम भट्टी की क्षमता को बढ़ाने और घटाने का भी प्रावधान करते हैं, भले ही कोई विशेष क्षमता पहले ही निर्धारित की जा चुकी हो; इसलिए, जहां मिश्रित लेवी योजना की शुरुआत से पहले या बाद में कोई परिवर्तन किया जाता है, ऐसी बढ़ी हुई या घटी हुई क्षमता को उचित महत्व

और सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्होंने श्रीजे कॉनकास्ट लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयुक्त, राजकोट (2002) 139 ईएलटी 131(टी) के फैसले पर भरोसा किया। जिसमें अधिकरण द्वारा यह माना गया है कि " नियम किसी भी बिंदु पर भट्ठी की क्षमता के बारे में बात नहीं करते हैं जब इसे पहली बार निर्मित किया जाता है। वे केवल क्षमता और निर्दिष्ट पैरामीटर का उल्लेख करते हैं जिस पर क्षमता आधारित होनी है। मापदंडों में से एक साइट पर स्थापित भट्ठी की कुल क्षमता है। ऐसी क्षमता स्पष्टतः वह क्षमता है जो मौजूद है। भट्ठी की क्षमता गुच्छों की वह मात्रा होगी जो वह एक ऑपरेशन (अस्पष्ट) गुच्छों में पैदा कर सकती है, वार्षिक क्षमता इस पर आधारित होगी। यह नियम 4 के प्रावधानों से इतना (अस्पष्ट) है। यह नियम उस मामले में वार्षिक क्षमता निर्धारित करने का प्रावधान करता है जहां एक निर्माता इंडक्शन भट्ठी की क्षमता बढ़ाने या (अस्पष्ट) करने का प्रस्ताव करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नियम स्थापित क्षमता को (अस्पष्ट) बताते हैं। दूसरे नियम के सन्दर्भ में यह स्पष्ट है कि भट्ठी की क्षमता भी (अस्पष्ट) है, न कि जब वह आरंभ में बनाई गई थी, बल्कि (अस्पष्ट) उस नियम में उल्लिखित वृद्धि या कमी, नव निर्धारित (अस्पष्ट) क्षमता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि नियम 4 ऐसे मामले में परिवर्तन (अस्पष्ट) क्षमता का प्रावधान करता है, जहां योजना के शुरू होने पर क्षमता पहले से ही तय है, योजना के शुरू होने से पहले ही जो बदलाव (अस्पष्ट) हो चुका है, उसे दिया जाना आवश्यक है। उचित महत्व (अस्पष्ट) विचार; एसीडी नियमों के नियम 4 का अंतिम वाक्य आयुक्त के लिए उस

तारीख को निर्धारित करने के लिए (अस्पष्ट) अनिवार्य बनाता है जिससे स्थापित क्षमता में परिवर्तन हुआ है।"

12. अपने निर्णय में, अधिकरण ने कहा:

"...राजस्व के अनुसार, ये साक्ष्य हैं (i) भट्ठी के क्रूसिबल आयतन (विशिष्ट गुरुत्व x आयतन) का माप, जो 7.97 मीट्रिक टन होता है (ii) स्पॉट विजिट के दौरान एक ही ताप में उत्पादित रनर और राइजर सहित एमएस सिल्लियों का वजन 5.86 मीट्रिक टन था (iii) बिजली की खपत में वृद्धि और (iv) दैनिक उत्पादन की जांच। हम आयुक्त के निष्कर्षों में पर्याप्त बल पाते हैं जो कि विवादित आदेश में निहित हैं..."

13. सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद, जैसा कि अधिकरण द्वारा तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया था, हमारी राय में, उच्च न्यायालय को यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की है।

14. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 जी का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"35 जी. उच्च न्यायालय में अपील

(1) 1 जुलाई, 2003 को या उसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी (अन्य बातों के अलावा, उत्पाद शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य से संबंधित कोई भी प्रश्न के निर्धारण से संबंधित आदेश नहीं है), यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में विधि का कोई सारभूत प्रश्न शामिल है..."

15. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35जी के संदर्भ में , उच्च न्यायालय, केवल तभी अपील पर विचार कर सकता है जब कानून का कोई प्रश्न उठता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए कानून का कोई प्रश्न नहीं उठता है, हमारी राय है में आक्षेपित निर्णय किसी भी प्रकार की अवैधता नहीं है।

16. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई बल नहीं है, तदुसार यह अपील खारिज की जाती है। खर्चा अधिरोपित नहीं किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।